



जे.डी. शिक्षण सेवा समिति द्वारा संचालित

राष्ट्रीय एवं राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्  
(N.C.V.T & S.C.V.T से मान्यता प्राप्त)

डी. बी.:- 70-72, सिद्धार्थ नगर, सवाई गैटोर, उ.प. रेलवे मुख्यालय के पास,  
मालवीय नगर, जयपुर

फोन नं. 0141-2725405, 9785953347, 9414280100

Website :- [www.jdhitec.in](http://www.jdhitec.in), Email Id :- [jdhitc.iti@gmail.com](mailto:jdhitc.iti@gmail.com), [pvt\\_iti\\_p608@yahoo.com](mailto:pvt_iti_p608@yahoo.com)

विवरणिका

2015 - 2016

## उद्देश्य

जे.डी.एच. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना तकनीकी क्षेत्र में पूर्णरूपेण रोजगार दिलाने के उद्देश्य से की गई है। जे.डी.एच. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र "जे.डी. शिक्षण सेवा समिति" द्वारा संचालित की जा रही है। समिति द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जे.डी.पी.जी. कॉलेज का सफल संचालन किया जा रहा है। समिति द्वारा संचालित कॉलेज के प्रति अभिभावकों एवं विद्यार्थियों के बढ़ते हुए रुझान एवं क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा क्षेत्र में आई.टी.आई. प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। समिति द्वारा संचालित कॉलेज ने जिस प्रकार अल्प समय में सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने का निर्णय लिया है औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से प्रायोगिक कार्य करवाया जाएगा जिसके लिए संस्था का उद्देश्य है कि संस्था में आने वाला विद्यार्थी संस्था से शिक्षा ग्रहण कर जाते समय पूर्ण विश्वास एवं पूर्ण तकनीकी ज्ञान के साथ इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में अपने आप को पूर्ण रूप से रोजगारोन्मुखी बना सके।

## प्रस्तावना

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में "शिल्पकार प्रशिक्षण योजना" का क्रियान्वयन किया जाता है। इस योजनान्तर्गत "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्" एवम् "राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्" के निर्धारित पाठ्यक्रमों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है इस योजना का उद्देश्य उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल अर्जित करने, तकनीकी और औद्योगिक अभिव्यक्ति उत्पन्न कर स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने एवं औद्योगिक उत्पाद की मात्रा व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देना तथा प्रशिक्षणार्थी को ज्ञान के साथ-साथ कौशल (अर्थात् कार्य को स्वयं द्वारा सम्पादित करने की सक्षमता) प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है। यह प्रशिक्षण प्राप्त कर अभ्यर्थी रोजगार/स्वरोजगार करने में सक्षम हो सकता है। यह प्रशिक्षण मेहनत का है तथा प्रशिक्षण की अवधि में तथा प्रशिक्षण पश्चात् रोजगार में हर प्रकार का रख-रखाव, सफाई और मेहनत का कार्य करना पड़ता है अतः अभ्यर्थी प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भरने से पहले इस संबंध में यह निश्चित कर लें कि वह व्यावसायिक प्रशिक्षण का इच्छुक है तथा इसे अपने जीविकोपार्जन का माध्यम बनाना चाहता है।

### सामान्य नियम :-

1. सत्र अगस्त, 2013 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई।
2. प्रत्येक एक सेमेस्टर में छः माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सेमेस्टर की परीक्षा होगी।
3. सत्र अगस्त, में प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों का प्रथम सेमेस्टर जनवरी में होगा इसी प्रकार जनवरी में प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों का प्रथम सेमेस्टर जुलाई में होगा।
4. दो वर्षीय कॉर्स में प्रत्येक छः माह में एक सेमेस्टर इस प्रकार कुल चार सेमेस्टर होंगे।
5. एक वर्षीय कॉर्स में प्रत्येक छः माह में एक सेमेस्टर इस प्रकार कुल दो सेमेस्टर होंगे।
6. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। क्योंकि प्रत्येक छः माह की छात्र उपस्थिति रजिस्टर की कॉपी निदेशालय में जमा होगी। इसलिए परीक्षा की कार्यवाही निदेशालय के द्वारा ही की जायेगी।
7. प्रत्येक सेमेस्टर में ट्रेड व्यवसाय से सम्बन्धित जैसे ट्रेड थ्योरी, प्रायोगिक, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, वर्कशॉप केलकुलेशन एण्ड साइंस, एम्प्लोयबिल्टी स्किल्स की परीक्षा सिलेबस के कार्यक्रम के अनुसार होगी।
8. प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा देने के बाद परिणाम आने से पहले द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश प्रशिक्षणार्थी को मिल जायेगा।
9. आवेदन पत्र के साथ अंकतालिका, जन्मतिथि व अन्य प्रमाण पत्रों की प्रमाणित फोटो प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें।
10. प्रशिक्षणार्थी द्वारा दिये गये विवरण को गलत पाये जाने पर उसको संस्थान से पृथक किया जा सकता है।
11. निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों/संस्थानों में परस्पर स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे।
12. उपस्थिति कम होने के कारण परीक्षा से वंचित प्रशिक्षणार्थी को उपस्थिति पूर्ण करने हेतु आगामी सत्र में प्रशिक्षण शुल्क जमा कराने पर ही संस्था प्रधान द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।
13. सुरक्षा एवं अनुशासन की दृष्टि से प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान में हल्का आसमानी शर्ट, नीला पेन्ट व काले जूते, कॉलेज आईडी कार्ड व कॉलेज बैग प्रशिक्षणार्थी को अनिवार्य रूप से संस्थान में लागू होगी।
14. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है।
15. प्रशिक्षण के दौरान प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों को दुर्घटना बीमा की सुविधा का प्रावधान है।
16. अभ्यर्थी की आयु प्रवेश के समय 14 वर्ष से कम व 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
17. प्रवेश के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा।
18. प्रशिक्षणार्थी के द्वारा सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात अनुपस्थित रहने पर 10 रुपये प्रति दिन जुर्माना देय होगा।
19. किसी भी प्रशिक्षणार्थी के द्वारा सत्र प्रारम्भ होने के बाद लगातार अनुपस्थित रहने पर प्राविधिक शिक्षा निदेशालय द्वारा सेमेस्टर वार होने वाली परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
20. किसी भी प्रशिक्षणार्थी के द्वारा अनुशासनहीनता करने पर संस्थान द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
21. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को व्यवसायवार विषय अनुदेशक द्वारा दिया जाने वाला गृह कार्य कर कर लाना होगा और प्रत्येक शनिवार को विषय अनुदेशक से जांच करवानी होगी साथ ही प्रत्येक दो माह में एक बार प्रशिक्षण अधिकारी/प्राचार्य से भी जांच करवानी होगी।
22. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों की कक्षा 05 अगस्त से प्रारम्भ होगी।
23. किसी प्रशिक्षणार्थी के द्वारा किसी भी एक व्यवसाय में प्रवेश लेने के बाद दूसरे व्यवसाय में स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा इसलिये सोच विचार कर अपना फॉर्म भरें।

## 1. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दो प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होते हैं :-

### 1.1 अभियांत्रिकी व्यवसायों में प्रशिक्षण

इस प्रकार के प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को स्थाई औद्योगिक रोजगार के लिये तकनीकी रूप से दक्ष करना है। ऐसे प्रशिक्षणार्थी स्वरोजगार भी कर सकते हैं। इसके अन्तर्गत छः माह से तीन वर्ष तक की अवधि के प्रशिक्षण उपलब्ध होते हैं। प्रशिक्षण की अवधि व्यवसाय के अनुसार पृथक-पृथक होती है।

### 1.2 गैर अभियांत्रिकी व्यवसायों में प्रशिक्षण

इस प्रकार के प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को लाभकारी रोजगार के लिए तकनीकी रूप से दक्ष करना है। ऐसे प्रशिक्षणार्थी स्वरोजगार के माध्यम से जीविकोपार्जन कर सकते हैं। बदलते युग में कुछ गैर अभियांत्रिकी व्यवसायों में भी वृहद् उत्पादन होने के कारण उद्योगों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इसके अन्तर्गत छः माह एवं एक वर्ष की अवधि के प्रशिक्षण उपलब्ध होते हैं। प्रशिक्षण की अवधि व्यवसाय के अनुसार पृथक-पृथक होती है।

**नोट :-** शिल्पकार प्रशिक्षण योजना में अभियांत्रिकी और गैर अभियांत्रिकी दोनों प्रकार के व्यवसायों में प्रशिक्षण उपलब्ध क्षमता अनुसार प्रत्येक वर्ष फरवरी/अगस्त माह में प्रारम्भ किया जाता है।

## 2. सामान्य

2.1 आवेदन-पत्र के साथ अंकतालिका, जन्मतिथि व अन्य प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित फोटो प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें। प्रमाणित फोटो प्रतियां नहीं होने पर आवेदन-पत्र रद्द/स्वीकार किये जाने संबंधी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

- व्यक्तिगत रूप से प्राप्त आवेदन-पत्र जो कि रद्द होने योग्य हो, संस्थान द्वारा उसी समय आवेदन को कमियों से अवगत करा दिया जायेगा। ऐसे आवेदन-पत्रों का पंजीकरण किया जावेगा तथा कमी पूर्ति हेतु जारी की जाने वाली सूची में सम्मिलित किया जायेगा।
- डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त आवेदन-पत्र जो रद्द होने योग्य हो उनका निर्धारण कर अन्तिम कमियों/रद्द करने के कारण का उल्लेख किया जायेगा। कमियों की पूर्ति हेतु स्वयं आवेदक को संस्थान में निर्धारित दिन को उपस्थित हो कर जानकारी प्राप्त कर पूर्ति करनी होगी। कमियों की पूर्ति के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किये जावेंगे।
- जो आवेदक कमी पूर्ति करने के इच्छुक है, उपरोक्त वर्णित सूची के अनुसार वांछित कमियों की पूर्ति तीन दिवस के भीतर कर सकते हैं।

2.2 प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराने पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा तथा वे स्थान योग्यता क्रम में अन्य अभ्यर्थियों द्वारा भर दिये जायेंगे।

2.3 प्रवेश के बाद अभ्यर्थी किसी और प्रशिक्षण संस्थान में नियमित अथवा अंशकालिन रूप से अध्ययन नहीं कर सकेगा तथा किसी अन्य पाठ्यक्रम की परीक्षा में नियमित अथवा स्वयंपाठी छात्र के रूप में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

2.4 किसी भी व्यवसाय में पांच अथवा पांच से कम प्रशिक्षणार्थियों के प्रवेश होने पर वह व्यवसाय नहीं चलाया जायेगा तथा प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों को उनके द्वारा जमा करवाया हुआ पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त सभी शुल्क लौटा दिया जावेगा। अथवा ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थियों को उनकी सहमति से तृतीय चक्र पश्चात् उसी संस्थान में यदि किसी व्यवसाय में स्थान रिक्त हैं तो प्रवेश दिया जाकर एक सप्ताह में व्यवसाय बदला जा सकता है।

2.5 आवेदन—पत्र के साथ अथवा साक्षात्कार के समय सक्षम राजकीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साक्षात्कार के समय तक स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर प्रवेश हेतु विचार नहीं किया जायेगा। आवेदक विशेष रूप से ध्यान दें कि स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र में निर्धारित स्थान पर एवं फोटो पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर स्पष्ट रूप से अंकित हो जिससे कि प्रवेश के समय किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो। ऐसी स्थिति में होने वाली असुविधा के लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

3. संस्था में संचालित व्यवसाय, प्रशिक्षण की अवधि एवं योग्यता निम्न प्रकार है :-

3.1 अभियांत्रिकी व्यवसाय

क्र.सं.	व्यवसाय	प्रशिक्षण अवधि/प्रवेश स्थान	शैक्षणिक योग्यता
3.1.1	इलैक्ट्रीशियन	2 वर्ष / 16	10+2 पद्धति के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण विज्ञान विषय सहित अथवा समकक्ष

**रोजगार :-** प्रशिक्षण लेने के बाद केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभाग (रेलवे, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लि.(RVVNL), भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड (BHEL), पावर ग्रिड इण्डिया कॉरपोरेशन लिमिटेड (PGCIL), इण्डियन ऑयल (ICOL), भारत पेट्रोलियम (BPCL), हिन्दूस्तान पेट्रोलियम (HPCL), भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास (DRDO), मेट्रो रेलवे, नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन (NTPC), जलदाय विभाग, PWD, SSC, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (RVUNL), भारतीय सेना, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम व अन्य सभी) तथा गैर सरकारी फ़ैक्ट्री, हॉस्पिटल, होटल आदि।

**परिणाम :-** सत्र 2009-11 का परीक्षा परिणाम 90% रहा।

**परिणाम :-** सत्र 2011-13 का परीक्षा परिणाम 70% रहा।

**परिणाम :-** सत्र 2012-14 का परीक्षा परिणाम 80% रहा।

3.1.1	फ़िटर	2 वर्ष / 16	10+2 पद्धति के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष
-------	-------	-------------	---

**रोजगार :-** फ़िटर में प्रशिक्षण लेने के बाद केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभाग (रेलवे, परिवहन, एयरफोर्ट, मेट्रो, जल विभाग, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास (DRDO), राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (RVUNL), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम व गैर सरकारी फ़ैक्ट्री आदि में)

**परिणाम :-** सत्र 2009-11 का परीक्षा परिणाम 60% रहा।

**परिणाम :-** सत्र 2010-12 का परीक्षा परिणाम 55% रहा।

**परिणाम :-** सत्र 2011-13 का परीक्षा परिणाम 60% रहा।

**परिणाम :-** सत्र 2012-14 का परीक्षा परिणाम 95% रहा।

### 3.2 गैर अभियांत्रिकी व्यवसाय

क्र.सं.	व्यवसाय	प्रशिक्षण अवधि / प्रवेश स्थान	शैक्षणिक योग्यता
3.2.1	हेल्थ सैनेट्री इन्स्पेक्टर	1 वर्ष / 20	10+2 पद्धति के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण 10वीं कक्षा में विज्ञान के साथ प्राथमिकता 12वीं कक्षा भौतिक विज्ञान रसायनिक विज्ञान एवं बायोलोजी से उत्तीर्ण को दी जायेगी।

**रोजगार :-** प्रशिक्षण के पश्चात सरकारी विभाग नगर पालिका, भारतीय रेलवे, हॉस्पिटल, सरकारी संस्थान, फ़ैक्ट्री, होटल, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास (DRDO), ऑयल रिफाइनरी, हवाई अड्डा, मेट्रो रेलवे आदि।)

**परिणाम :-**

1. सत्र 2009-10 का परीक्षा परिणाम 100% रहा।
2. सत्र 2010-11 का परीक्षा परिणाम 100% रहा।
3. सत्र 2011-12 का परीक्षा परिणाम 90% रहा।
4. सत्र 2012-13 का परीक्षा परिणाम 100% रहा।
5. सत्र 2013-14 का परीक्षा परिणाम 80% रहा।

#### 4. प्रवेश में आयु सीमा

- अभ्यर्थी की आयु प्रवेश वर्ष के 01 अगस्त/फरवरी को 14 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। केवल ड्राइवर कम मैकेनिक (लाईट मोटर व्हीकल) व्यवसाय में अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। (जिला दण्डनायक, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर ही छूट मान्य होगी)।

#### 5. प्रवेश में आरक्षण

- 25 स्थान निर्धारित क्षमता वाले व्यवसायों में 32 स्थानों, 20 स्थान निर्धारित क्षमता वाले व्यवसायों में 26 स्थानों, 16 स्थान निर्धारित क्षमता वाले व्यवसायों में 21 स्थानों तथा 12 स्थान निर्धारित क्षमता वाले व्यवसायों में 16 स्थानों से अधिक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

#### 6. राष्ट्रीय/राज्य व्यवसाय प्रमाण-पत्र

प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि पूरी हो जाने के बाद राष्ट्रीय/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अंतिम अखिल भारतीय/राज्य व्यवसाय परीक्षा आयोजित की जायेगी और सफल प्रशिक्षणार्थियों को संबंधित व्यवसायों में राष्ट्रीय/राज्य व्यवसाय प्रमाण-पत्र दिये जायेंगे।

**सही समय पर लिया गया निर्णय व्यक्ति को सफल बनाता है।**

धैर्य मेरा पिता, क्षमा मेरी जननी है,

शांति मेरी सहचरी, सत्य मेरा पुत्र,

दया मेरी भगिनी, दिशाएँ मेरा वस्त्र

ज्ञान मेरा आहार ॥

# जे.डी.एच. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर

## मेधावी प्रशिक्षणार्थियों की सूची

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	ट्रेड	सत्र	स्थान
1.	राकेश कुमार सोनवाल	श्री कालूराम सोनवाल	इलैक्ट्रीशियन	2009-11	प्रथम स्थान
2.	धर्म प्रकाश	श्री उदय सिंह	फिटर	2009-11	प्रथम स्थान
3	नवीन कुमार मीणा	श्री रामजीवन मीणा	हैल्थ सेनेट्री इंस्पेक्टर	2010-11	राज्य स्तरीय प्रथम मेरिट
4	विष्णु कुमार	श्री अतर सिंह	हैल्थ सेनेट्री इंस्पेक्टर	2011-12	प्रथम स्थान
5	देवेन्द्र कुमावत	श्री रमेश चन्द	फिटर	2010-12	प्रथम स्थान
6	देवी सिंह मीणा	श्री बत्तू लाल मीणा	हैल्थ सेनेट्री इंस्पेक्टर	2012-13	राज्य स्तरीय प्रथम मेरिट
7	मुकेश पालीवाल	श्री राधेश्याम पालीवाल	इलैक्ट्रीशियन	2011-13	प्रथम स्थान
8	रामजी लाल सैनी	श्री कजोड़ मल सैनी	फिटर	2011-13	प्रथम स्थान

नोट :- सभी प्रशिक्षणार्थियों ने 65 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये।

## औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में सत्र 2015-16 में कार्यरत कार्मिकों की सूची

क्र.सं.	नाम	पद	विषय
1	श्री कुश मित्तल	प्राचार्य	एमप्लॉयबिलिटी स्किल्स
2	श्री एम. एल. मीणा	प्रशिक्षण अधिकारी	इलैक्ट्रीशियन
3	श्री बाबु लाल शर्मा	अनुदेशक	इलैक्ट्रीशियन
4	श्रीमति गीता यादव	अनुदेशक	इलैक्ट्रीशियन
5	श्री हंसराज जाखड़	अनुदेशक	इलैक्ट्रीशियन
6	श्री गौरव राघव	अनुदेशक	इलैक्ट्रीशियन & इन्जिनियरिंग ड्राईंग
7	श्री भीमराज मीणा	अनुदेशक	फिटर
8	श्री बाबु लाल मीणा	अनुदेशक	फिटर
9	श्री जगदीश नारायण मीणा	अनुदेशक	हैल्थ सेनेट्री इंस्पेक्टर
10	सुश्री रेखा धाकड़	अनुदेशक	वर्कशॉप केलकुलेशन एण्ड साइंस
11	श्री शिव शंकर जादौन	अनुदेशक	इंजीनियरिंग ड्राईंग

12	श्री कमल कुमार श्रीवास्तव	वर्लक	
13	श्री शरद शर्मा	चतुर्थ श्रेणी	

**प्रशिक्षणार्थियों की पूर्ण सफलता ही प्रशिक्षण केन्द्र का अहम् उद्देश्य है।**

**नोट:—** माता-पिता/संरक्षक द्वारा यह घोषणा 10/- रूपये के स्टाम पेपर पर की जाये और प्रवेश फॉर्म के साथ संस्थान में जमा करवाये।

### माता-पिता/संरक्षक द्वारा घोषणा प्रपत्र

मैं छात्र/छात्रा.....पुत्र/पुत्री.....नें  
ट्रेड/व्यवसाय ..... में सत्र..... में संस्था (कॉलेज का नाम) में .....प्रवेश लिया है यदि मेरा पुत्र/पुत्री संस्थान के किसी भी नियमावली का उल्लंघन करता है और अपने व्यवसाय में 75 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज नहीं करवाता है तो संस्थान द्वारा सेमेस्टर वार होने वाली परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाये जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभिभावक की होगी और संस्थान द्वारा परीक्षा से वंचित या स्थायी रूप से नाम पृथक करने की कार्यवाही स्वयं संस्थान अपने स्तर पर करेगा।

**निम्न बिन्दु :-**

1. प्रशिक्षणार्थी द्वारा दिये गये विवरण को गलत पाये जाने पर उसको संस्थान से पृथक किया जा सकता है।
2. उपस्थिति कम होने के कारण परीक्षा से वंचित प्रशिक्षणार्थी को उपस्थिति पूर्ण करने हेतु आगमी सत्र में प्रशिक्षण शुल्क जमा कराने पर ही संस्था प्रधान द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।
3. सुरक्षा एवं अनुशासन की दृष्टि से प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान में हल्का आसमानी शर्ट, नीला पेन्ट व काले जूते, कॉलेज आईडी कार्ड व कॉलेज बैग प्रशिक्षणार्थियों को अनिवार्य रूप से संस्थान में लागू होगी।
4. प्रवेश के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा।
5. किसी भी प्रशिक्षणार्थी के द्वारा सत्र प्रारम्भ होने के बाद लगातार अनुपस्थित रहने पर प्राविधिक शिक्षा निदेशालय द्वारा सेमेस्टर वार होने वाली परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
6. किसी भी प्रशिक्षणार्थी के द्वारा अनुशासनहीनता करने पर संस्थान द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

**हस्ताक्षर**  
**माता-पिता/संरक्षक**

**—:: फीस का विवरण ::—**



क्र. सं.	ट्रेड	रजि./प्रवेश /विवरणिका शुल्क	प्रथम वर्ष शिक्षण शुल्क	द्वितीय वर्ष शिक्षण शुल्क	प्रायोगिक शुल्क	प्रायोगिक शुल्क	परीक्षा शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित	कुल फीस
1	इलैक्ट्रीशियन	3000	19500	19500	4000	4000	—	50000 /—
2	फिटर	3000	13500	13500	3000	3000	—	36000 /—
3	हैल्थ सेनेट्री इंस्पेक्टर	1500	5000	5000	1500	2000	—	15000 /—

## चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र

(राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश के समय प्रस्तुत करने के लिए)

यह प्रमाण-पत्र राजकीय औ.प्र.सं. में प्रशिक्षण प्राप्त करने योग्य अभ्यर्थी के लिए जारी किय जाना है।

मैं डॉ.....(नाम).....  
चिकित्सालय में कार्यरत हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने श्री/कु./श्रीमती.....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी.....का/की सावधानी पूर्व चिकित्सा जाँच की है।

यह प्रमाणित किया जाता है, कि अभ्यर्थी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यावसायिक प्रशिक्षण में प्रवेश योग्य है। निर्धारित शारीरिक मानदण्डों के अनुसार चिकित्सा परीक्षा में किसी अयोग्यता का होना नहीं पाया गया।

अभ्यर्थी को कोई गम्भीर बीमारी या मानसिक या शारीरिक दुर्बलता नहीं है जिसके कारण यह निकट भविष्य में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में अथवा कार्य सम्पादन करने में अयोग्य रहे।

अतः अभ्यर्थी चिकित्सा मानदण्ड अनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान में चिकित्सा के मानदण्ड अनुसार प्रवेश लेने योग्य है।

पहचान चिन्ह.....

अभ्यर्थी का पासपोर्ट  
साईज का फोटो  
(चिकित्सा अधिकारी  
द्वारा प्रमाणित होना  
चाहिए)

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर  
पद व अस्पताल की मोहर

दिनांक.....

- नोट :-
1. अभ्यर्थी का फोटोग्राफ उपरोक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
  2. चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र राजकीय/चिकित्सा अधिकारी (राजपत्रित) द्वारा ही हस्ताक्षरित होना चाहिए।
  3. चिकित्सा अधिकारी द्वारा फोटोग्राफ पर हस्ताक्षर मय सील लगी होनी चाहिए।
  4. शारीरिक विकलांग अभ्यर्थी द्वारा विकलांगता के अतिरिक्त अन्य सभी तथ्यों हेतु योग्य होना अनिवार्य है।
  5. शारीरिक विकलांगता का सक्षम प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में अलग से भरा हुआ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।



## J.D.H. INDUSTRIAL TRAINING CENTRE JAIPUR

IDENTITY CARD 2014 – 2015

Name..... Father's Name.....  
Mather's Name ..... Date of Birth .....  
Date of Admission ..... Trade.....  
Category ..... Mobile .....  
Postal Address .....  
.....State.....Pin No. ....

passport  
size  
photograph



## J.D.H. INDUSTRIAL TRAINING CENTRE JAIPUR

IDENTITY CARD 2014 – 2015

Name..... Father's Name.....  
Mather's Name ..... Date of Birth .....  
Date of Admission ..... Trade.....  
Category ..... Mobile .....  
Postal Address .....  
.....State.....Pin No. ....

passport  
size  
photograph



## J.D.H. INDUSTRIAL TRAINING CENTRE JAIPUR

IDENTITY CARD 2014 – 2015

Name..... Father's Name.....

passport  
size  
photograph

Mather's Name ..... Date of Birth .....  
Date of Admission ..... Trade.....  
Category ..... Mobile .....  
Postal Address .....  
.....State.....Pin No. ....



# J.D.H. INDUSTRIAL TRAINING CENTRE JAIPUR

IDENTITY CARD 2014 – 2016

Name Rahul Kumar Mourya Father's Name Durga Lal Mourya  
Mather's Name ..... Date of Birth 09.07.1997  
Date of Admission 01 Aug, 2014 Trade Electrician  
Category SC Mobile 9694606492, 9983340091  
Postal Address Manoharpura 167, Jagatpura, Jaipur (Raj)-302017

passport  
size  
photograph



# J.D.H. INDUSTRIAL TRAINING CENTRE JAIPUR

IDENTITY CARD 2014 – 2016

Name..... Father's Name.....  
Mather's Name ..... Date of Birth .....  
Date of Admission ..... Trade.....  
Category ..... Mobile .....  
Postal Address .....  
.....State.....Pin No. ....

passport  
size  
photograph



# J.D.H. INDUSTRIAL TRAINING CENTRE JAIPUR

IDENTITY CARD 2014 – 2016

Name..... Father's Name.....

passport  
size  
photograph

Mather's Name ..... Date of Birth .....  
Date of Admission ..... Trade.....  
Category ..... Mobile .....  
Postal Address .....  
.....State.....Pin No. ....

## प्रवेश जुलाई 2014—2015 सामान्य नियम :-

### सामान्य नियम :-

1. सत्र अगस्त, 2013 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई।
2. प्रत्येक एक सेमेस्टर में छः माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सेमेस्टर की परीक्षा होगी।
3. सत्र अगस्त, में प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों का प्रथम सेमेस्टर जनवरी में होगा इसी प्रकार जनवरी में प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों का प्रथम सेमेस्टर जुलाई में होगा।
4. दो वर्षीय कोर्स में प्रत्येक छः माह में एक सेमेस्टर इस प्रकार कुल चार सेमेस्टर होंगे।
5. एक वर्षीय कोर्स में प्रत्येक छः माह में एक सेमेस्टर इस प्रकार कुल दो सेमेस्टर होंगे।
6. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। क्योंकि प्रत्येक छः माह की छात्र उपस्थिति रजिस्टर की कॉपी निदेशालय में जमा होगी। इसलिए परीक्षा की कार्यवाही निदेशालय के द्वारा ही की जायेगी।
7. प्रत्येक सेमेस्टर में ट्रेड व्यवसाय से सम्बन्धित जैसे ट्रेड थ्योरी, प्रायोगिक, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, वर्कशॉप केलकुलेशन एण्ड साइंस, एम्प्लोयबिल्टी स्किल्स की परीक्षा सिलेबस के कार्यक्रम के अनुसार होगी।
8. प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा देने के बाद परिणाम आने से पहले द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश प्रशिक्षणार्थी को मिल जायेगा।
9. प्रत्येक व्यवसाय (ट्रेड) में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को **RKCL/RS-CIT** से बेसिक कम्प्यूटर कोर्स (BCC) का प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण-पत्र की कॉपी संस्थान में जमा करानी होगी। क्योंकि इसके बिना निदेशालय आपको सेमेस्टर वार होने वाली परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं छात्र या संरक्षक की होगी।
10. आवेदन पत्र के साथ अंकतालिका, जन्मतिथि व अन्य प्रमाण पत्रों की प्रमाणित फोटो प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें।
11. प्रशिक्षणार्थी द्वारा दिये गये विवरण को गलत पाये जाने पर उसको संस्थान से पृथक किया जा सकता है।
12. निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों/संस्थानों में परस्पर स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे।
13. उपस्थिति कम होने के कारण परीक्षा से वंचित प्रशिक्षणार्थी को उपस्थिति पूर्ण करने हेतु आगामी सत्र में प्रशिक्षण शुल्क जमा कराने पर ही संस्था प्रधान द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।
14. सुरक्षा एवं अनुशासन की दृष्टि से प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान में हल्का आसमानी शर्ट, नीला पेन्ट व काले जूते, कॉलेज आईडी कार्ड व कॉलेज बैग प्रशिक्षणार्थी को अनिवार्य रूप से संस्थान में लागू होगी।
15. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है।
16. प्रशिक्षण के दौरान प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों को दुर्घटना बीमा की सुविधा का प्रावधान है।

17. अभ्यर्थी की आयु प्रवेश के समय 14 वर्ष से कम व 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
18. प्रवेश के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा।
19. प्रशिक्षणार्थी के द्वारा सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात अनुपस्थित रहने पर 10 रूपये प्रति दिन जुर्माना देय होगा।
20. किसी भी प्रशिक्षणार्थी के द्वारा सत्र प्रारम्भ होने के बाद लगातार अनुपस्थित रहने पर प्राविधिक शिक्षा निदेशालय द्वारा सेमेस्टर वार होने वाली परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
21. किसी भी प्रशिक्षणार्थी के द्वारा अनुशासनहीनता करने पर संस्थान द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
22. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को व्यवसायवार विषय अनुदेशक द्वारा दिया जाने वाला गृह कार्य कर कर लाना होगा और प्रत्येक शनिवार को विषय अनुदेशक से जांच करवानी होगी साथ ही प्रत्येक दो माह में एक बार ग्रुप अनुदेशक/प्राचार्य से भी जांच करवानी होगी।
23. किसी प्रशिक्षणार्थी के द्वारा किसी भी एक व्यवसाय में प्रवेश लेने के बाद दूसरे व्यवसाय में बदला नहीं जायेगा इसलिये सोच विचार कर अपना फॉर्म भरें।
24. फीस समय पर जमा नहीं कराने पर 500/- रूपये प्रति माह जुर्माना देय होगा। जो कि संस्था द्वारा आपको फीस की दिनांक दी गई है उसके एक महिने से ज्यादा होने पर प्रति माह जुर्माना देय होगा। पूर्व प्रवेशित व न्यू प्रवेशित दोनो की लिये यह नियम लागू है।

### Print Command

1,3,5,7

8,6,4,2